

कार्यालय आदेश

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में सीधी भर्ती से 2005 में मौलिक रूप से तैनात चपरासी/अर्दली को चपरासी/अर्दली के पद हेतु निर्धारित परीवीक्षा अवधि दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त स्तम्भ -2 में अंकित कार्मिक को उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर स्तम्भ 06 में उल्लिखित तिथियों से चपरासी/अर्दली के पद पर स्थायी किया जाता है-

क्रम सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान में पदनाम	तैनाती जनपद/स्थान	विभाग में चपरासी/अर्दली के पद पर योगदान की तिथि	परीवीक्षा अवधि समाप्त होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सन्तोष कुमार शर्मा	चपरासी/अर्दली	गोरखपुर	09.05.2005	08.05.2007

उपर्युक्त कार्मिक का चपरासी/अर्दली की पारस्परिक ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(डॉ० संजय कुमार मालवीय)
उप निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

कार्यालय : उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

पत्रांक 19 /उ०नि०/पि०व०क०/2017-18 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय प्रति।

(डॉ० संजय कुमार मालवीय)
उप निदेशक
पिछड़ा वर्ग कल्याण
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।